मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक–बी–6 / नियमन / हम्माल–तुलावटियों / 297 भोपाल, दिनांक 06 / 05 / 2017

प्रति,

1– अपर / संयुक्त / उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
(म.प्र.)

2– अध्यक्ष / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति .... (समस्त)
जिला .... (म.प्र.)

विषयः–श्रम मानकों के आधार पर कृषि श्रमिक से 50 कि.ग्रा. से अधिक वजन न उठाने बावत्।

कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 36(4) के तहत अधिसूचित कृषि उपज की तौल या माप के संबंध में उपविधियों में प्रावधानित अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके तहत मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन् 2000 की उपविधि 24 में दरों, वजन, माप व तौल के संबंध में मापदण्ड तय करने का अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति को प्रदत्त है। अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श श्रम मानकों में किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति द्वारा 50 कि.ग्रा. से अधिक भार उठाना अनुपयुक्त माना गया है।

अतः प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में श्रमिक (हम्माल) द्वारा स्वयं भार उठाये जाने वाले जिन्सों के बोरो (बेग्स) का वजन 50 कि.ग्रा. से अधिक न रखा जावे।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ. क्रमांक–बी–6 / नियमन / हम्माल–तुलावटियों / 298 भोपाल, दिनांक 06 / 05 / 2017

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल